प्रतिवेदन

कार्य का नाम :– जनपद उत्तरकाशी के विधानसभा क्षेत्र यमुनोत्री के विकास खण्ड डुण्डा के अन्तर्गत राष्ट्रीय राज मार्ग संख्या– 94 सिलक्यारा (शिवगुफा) से मंजगांव तक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य (लम्बाई 5.00 किमी0) हेतु वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव 1.310 है0।

उपरोक्त मोटर मार्ग की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति राज्य योजना के अन्तर्गत प्रथम चरण हेतु शासनादेश संख्या– 549/III(2)/14–49 (प्रा0आ0)/2013 देहरादून दिनांक 29 जनवरी 2014 द्वारा 5.00 किमी0 लम्बाई हेतु रू0 119.65 लाख की प्राप्त हुई है।

इस मार्ग का समरेखण 5.00 किमी0 हेतु अधीक्षण अभियन्ता, छठा वृत्त, लो0नि0वि0, उत्तरकाशी के पत्रांक– 4188/याता./618सी0–06/2014 दिनांक 30–08–2014 के द्वारा स्वीकृत हुआ है। प्रस्तावित समरेखण का भूगर्भीय निरीक्षण भूवैज्ञानिक द्वारा दिनांक 07–08–2014 को किया गया भूगर्भीय निरीक्षण आख्या पत्रांक– 82/भू0/लो0नि0वि0/6/14 दिनांक 14–08–2014 जो कि पृष्ठ संख्या– 81-82 पर संलग्न किया गया है। यह मोटर मार्ग राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या– 94 ऋषिकेश–यमुनोत्री मोटर मार्ग पर स्थित सिलक्यारा (शिवगुफा) से प्रारम्भ होकर सौंद गांव होते हुए मंजगांव तक निर्मित की जानी है।

इस मोटर मार्ग के निर्माण से ग्राम सौंद, नगल, मंजगांव आबादी 1154 है, इस मोटर मार्ग के निर्माण से ग्राम मंजगांव, सौंद गांव को राष्ट्रीय राज मार्ग संख्या– 94 से जोड़ दिया जायेगा तथा स्थानीय बाजार ब्रहमखाल से ग्रामसभा तक यातायात सम्भव हो पायेगा। इस मोटर मार्ग के समरेखण में आने वाले वृक्षों की संख्या 42 है एवं इस मार्ग के निर्माण के लिए इन वृक्षों का पातन आवश्यक है। समरेखण में आने वाली भूमि का विवरणवार बारचार्ट संलग्न है जिसके अनुसार 200 मी0 लम्बाई में आरक्षित वनभूमि, 900 मी0 लम्बाई में सिविल सोयम वनभूमि एवं 3900 मी0 लम्बाई में नापभूमि पड़ती है। इस मोटर मार्ग निर्माण हेतु ली जाने वाली भूमि की चौड़ाई 9.00 मी0 रखी गयी है जिसके अनुसार मोटर मार्ग के लिए 0.180 है0 आरक्षित वनभूमि, 0.810 है0 सिविल सोयम वनभूमि एवं डम्पिंग स्थलों के निर्माण हेतु 0.320 है0 हस्तान्तरण की आवश्यकता है।

अतः 0.180 है0 आरक्षित वनभूमि एवं 1.130 है0 सिविल सोयम वनभूमि कुल 1.310 है0 वनभूमि हस्तान्तरण मोटर मार्ग निर्माण हेतु अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, उत्तरकाशी के पक्ष में हस्तान्तरण करने की स्वीकृति हेतु प्रेषित।

सहायक अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0,
उत्तरकाशी।

अधिशासी अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0,
उत्तरकाशी।